परीक्षा की योजना'

परीक्षा दो भागो मे होगी। केवल वे अभ्यर्थी जो परीक्षा के भाग–1 मे अर्हित होते है, परीक्षा के भाग –।। मे उपस्थित होने के लिए पात्र होगें। परीक्षा के भाग –1 के लिए अनुज्ञात अंक और समय तथा परीक्षा के भाग –।। के लिए अनुज्ञात समय निम्नानुसार होगाः–

भाग–1 लिखित परीक्षा

(पार्ट–अ)	सूचना प्रोधोगिकी में योग्यता परीक्षण और सामान्य जानकारी	अंक–30	**समय– 3 घण्टे**
(पार्ट–ब)	कम्प्यूटर के मूलभूत सिद्वान्त	अंक–70	

भाग–2 टंकण गति परीक्षण :–	**अंक**	**समय**
(क) हिन्दी	60	15 मिनट
(ख) अंग्रेजी	60	15 मिनट

14. <u>पाठ्यक्रम विवरण</u>

भाग–1 लिखित परीक्षा का पाठ्य विवरण

योग्यता परीक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी मे सामान्य जानकारी और कम्प्युटर के मूल सिद्धान्त

(क) प्रोब्लम सोल्विंग, डाटा इन्टरप्रिटेशन, डाटा सफीशियन्शी, लाजिकल रीजनिंग मेन्टल एबिलिटी एण्ड एनालिटिकल रीजनिंग। भारत और राजस्थान से सम्बन्धित सामान्य ज्ञान तथा समसामयिक मामले, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मुख्य विकास।

(ख) समाज में कम्प्युटर प्रणाली, कम्प्युटर एप्लीकेशन और आर्गेनाईजेशन, कम्प्युटर के अवयव संघटन, डाटा (डिजिटल बनाम ऐनालोग, डिजिटल नम्बर सिस्टम) ऑपरेटिंग सिस्टम (विन्डोज, यूनिक्स, लाईनक्स), वर्ड प्रोसेसिंग (एमएस–वर्ड), स्प्रेड शीट सोफ्टवेयर (एमएस एक्सेल) का रिप्रजेन्टेशन, सोफ्टवेयर (एमएस पॉवर वर्ड) और आईटी पर दृष्टिपात)

(ग) डीबीएमएस(एमएस–एक्सेस), नॉलेज बिजनिस डाटा प्रोसेसिंग, फाईलों के कन्सेप्ट, प्रिसिपलस और प्रोग्रामिंग टेक्नीकस, विज्युअल फोक्सप्रो और बिजनेस एप्लीकेशनस, आरडीबीएमएस(एसक्यूयल) ।

(घ इन्टरनेट प्रौद्योगिकी और प्रोटोकाल, लेन, मेन, वेन का परिचय, टीसीपी/आईपी, वर्ल्ड वाईड वेब ब्राउसर , ई–मेल, फाईल ट्रान्सफर प्रोटोकाल, टेलीनेट, वेब पब्लिशिंग, एचटीएमएल इन्टरएक्टीविटी टूल्स, मल्टीमिडिया एण्ड ग्राफिक, इन्टरनेट सिक्यूरिटी मैनजमेन्ट कन्सेट (फायरवालस),वॉयस मेल और विडियो कान्फ्रेंसिंग का परिचय, ई–कॉमर्स का परिचय, वेबसाईट का सर्जन और रखरखाव।

(ड.) प्राबलिंग सोलविंग के लिये ऐलगरिज्म (विधि–विशेष), सी लॅग्वेज का परिचय, सी और सी++ में प्रोग्रामिंग, कन्डिशनल्स और लूप्स अॅरे, फन्कशनस।

<u>प्रारम्भिक ज्ञान :–</u>

विज्युअल बेसिक में आबजेक्ट आरियेन्टेड प्रोग्रामिंग (ओओपी) और जावा प्रोगामिंग एलिमेन्टस, इन्टीग्रेटिड डेवलमेंट इन्वायरमेन्ट, फोर्मस के साथ वर्किंग, बैसिक एक्टिव X कन्ट्रोल, वीबी के साथ ग्राफिक्स, मल्टीपल डाक्यूमेन्ट इन्टरफेस, एरॅर हेन्डिलिंग, वीबी के साथ प्रोग्रामिंग की शुरूआत, विन्डों एपीआई और डीएलएल।

भाग– II टंकण गति परीक्षण

केवल उन अभ्यर्थियों का कम्प्यूटर मशीन पर हिन्दी और अंग्रजी भाषाओं में गति परीक्षण लिया जायेगा, जो लिखित परीक्षा में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करें, गति परीक्षण के लिये अर्हक अंक प्राप्त किया हुआ समझा जावेगा। तथापि अजा/अजजा के अभ्यर्थियों के लिए न्यनूतम अर्हक अंक 36 प्रतिशत होगें। परीक्षा के भाग–II (अर्हता टंकण गति परीक्षण) में प्रविष्ट किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित रिक्तियों (प्रवर्गवार) की लगभग तीन गुना होगी।

15. <u>प्रवेश–पत्र :–</u>

परीक्षा में प्रवेश हेतु प्रवेश–पत्र विभाग की वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड किये जा सकेगें। विभाग द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश–पत्र नही भेजा जाएगा। प्रवेश–पत्र अपलोड किये जाने की सूचना विभाग की वेबसाइट www.rajdlsg.org और www.rajdlsg.net पर जारी की जायेगी। समाचार–पत्रों एवं वेब–साइट के माध्यम तथा यथासम्भव अभ्यर्थी के ई–मेल आई.डी एवं मोबाइल नम्बर पर भी प्रेषित करने का प्रयास किया जाएगा। अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र वेब–साइट से प्राप्त करने हेतु आवेदन–पत्र क्रमांक एवं फीस जमा कराने का **टोकन नम्बर** ध्यान में रखें।

16. <u>नियुक्ति के लिये अयोग्यता</u> :–

a. किसी भी ऐसे पुरूष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो नियुक्ति के लिये पात्र नही माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।

b. किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरूष्ज्ञ से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नही माना जावेगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है।

c. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा। परन्तु दो से अधिक संतानों वाला अभ्यर्थी तब तक नियुक्ति के लिये निर्रहित नही समझाा जायेगा, जब तक उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून 2002 को है, बढोत्तरी नही होती है। परन्तु यह और कि जहॉ किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संताने पैदा हो जाती है वहॉ संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।

परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वोत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नही की जाएगी।

d. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह–13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा।

e. किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नही माना जावेगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी को स्वघोषणा पत्र विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

स्पष्टीकरण इस नियम के प्रयोजन हेतु ''देहज'' से यही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिबन्ध एक्ट 1961 में है (सैन्ट्रल एक्ट 28 ऑफ 1961)

17. <u>अनुचित साधनों को रोकथाम</u> :–

ऐसा अभ्यर्थी जो आयोग/नियुक्त प्राधिकारी द्वारा प्रतिरूपण करने का अथवा बनावटी दस्तावेज जिनमें गडबड की गई है, प्रस्तुत करने का या ऐसे ब्यौरे प्रस्तुत करने का जो सही नही है या मिथ्या है अथवा महत्वपूर्ण सूचना छिपाने का अथवा परीक्षा या साक्षात्कार में नावाजिब साधनों का प्रयोग करने का या उनके प्रयोग करने का प्रयास करने का या परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश पाने के निमित किसी अनियिमित या अनुचित साधन काम में लोने का दोषी घोषित किया जाता है या किया जा चुका है तो फौजदारी मुकदमा चलाये जाने के दायित्वाधीन रहने के अतिरिक्त उसे

(क) आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों के चयन हेत आयोजित किसी परीक्षा में प्रवेश पाने या किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा और

(ख) सरकार के अधीन नियोजन के लिये सरकार द्वारा स्थायी तौर पर या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये विवर्जित किया जा सकेगा।

संयाचना :– सीधी भर्ती के लिये नियमों के अधीन अपेक्षित से अन्यथा किसी प्रकार की लिखित या मौखिक सिफारिश पर चिवार नही किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष का समर्थन प्राप्त करने हेतु किसी भी तरीके से किया गया प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रयत्न उसे भर्ती के लिये निरर्हित कर सकेगा।

18. कम्प्यूटर मशीन पर उत्तर टंकित करने हेतु सहायक की सुविधा :–

सामान्यतया सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न–उत्तर स्वयं अपने हाथ से कम्प्यूटर मशीन पर अंकित करने होगें, केवल राजस्थान विशेष योग्यजनों का नियोजन नियम में वर्णित ऐसे निःशक्त व्यक्ति जो स्वयं अपने हाथ से प्रश्नों के उत्तर कम्प्यूटर मशीन पर टंकित करने में असमर्थ है, उन्हे विभाग कार्यालय को परीक्षा दिनांक से 15 दिन पूर्व तक प्रार्थना पत्र वांछित प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा कम्प्यूटर मशीन पर उत्तर टंकित करने हेतु सहायक की सुविधा देय होगी परन्तु अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थाई रूप से असमर्थ हुये अभ्यर्थियो को यह सुविधा देय नही होगी । सहायक को वीक्षक, केन्द्राधीक्षक व अभ्यर्थी को विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही कार्य रना होगा।

नोट :–

1. आवेदक जिनके आवेदन–पत्र अन्तिम दिनांक तक विभाग को ऑनलाईन पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होगे, ऐसे आवेदकों को विभाग द्वारा अनन्तिम रूप से प्रवेश दिया जायेगा। परीक्षा में केवल मात्र उसे प्रवेश पत्र जारी करने से यह मतलब नही है कि विभाग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन–पत्र में की गयी प्रविष्टियाँ विभाग द्वारा सही और ठीक मान ली गई है। विभाग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते समय अथवा मूल प्रालेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग एव अन्य शर्ते आदि के कारण उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है। जिसकी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी।
2. विज्ञापित पद से सम्बन्धित सेवा नियम के अनुसार अपात्र पाये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।

विशेष टिप्पणी :–

परीक्षार्थी परीक्षा के समय प्रश्न पत्र में रही किसी भी त्रुटि अथवा किसी प्रकार की शिकायत के सम्बन्ध में परीक्षा समाप्ति के पश्चात् 72 घण्टे में (तीन दिवस) के भीतर अपना लिखित अभ्यावेदन/शिकायत स्पीड पोस्ट के माध्यम से निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को प्रस्तुत कर दे। नियत समय में प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन/शिकायत पर विभाग द्वारा यथोचित कार्यवाही की जावेगी। तीन दिवस के पश्चात् प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का चिवार नही किया जाएगा।

हेल्पलाईन नम्बर +918561809619

(अलका मीणा)
सचिव
राजस्थान नगर पालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालिक)
चयन सेवा आयोग